न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 38 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 56
दायर दिनांक :— 25.02.2025 निर्णय दिनांक :— 04.03.2025

1. दीनदयाल पुत्र हरिराम जाति छंगाणी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. प्रेमरतन पुत्र हरिराम जाति छंगाणी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
3. रामरतन पुत्र हरिराम जाति छंगाणी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
4. भोमराज पुत्र हरिराम जाति छंगाणी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का इस आशय का पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम ढालेरी में खसरा नम्बर 173 / 195 रकबा 48—00 बीघा किस्म बारानी—2 भूमि दीनदयाल, प्रेमरतन, रामरतन, भोमराज पिता हरिराम जाति छंगाणी सा. नोख गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम ढालेरी में नामान्तरकरण संख्या 17 द्वारा आवंटन खसरा नम्बर 199 / 3251 रकबा 48—00 बीघा हरिराम पुत्र तुलसीदास जाति ब्राहमण छंगाणी सा. नोख उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम ढालेरी गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059—2062 में खसरा नम्बर 173 / 195 रकबा 48—00 बीघा किस्म बारानी—2 हरिराम पुत्र तुलसीदास जाति छंगाणी सा. नोख खातेदार दर्ज हुआ। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063—2066 बनाते समय खसरा नम्बर 173 / 195 रकबा 48—00 बीघा किस्म बारानी—2 हरिराम पुत्र तुलछीदास जाति छंगाणी सा. नोख लिपिकीय त्रुटि से खातेदार से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम ढालेरी में नामान्तरकरण संख्या 141 में हरिराम पुत्र तुलसीदास फौत होने से विरासत नामान्तरकरण वारिसान दीनदयाल, प्रेमरतन, रामदयाल, भोमराज पिता हरिराम जाति छंगाणी सा. नोख के नाम से गैर खातेदार दर्ज हुआ। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम ढालेरी पटवार हल्का बोडाना तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 173 / 195 रकबा 48—00 बीघा नामान्तरकरण संख्या 16 द्वारा हरीराम पुत्र तुलसीदास जाति ब्राहमण छंगाणी निवासी नोख गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये गये। गिरदावरी चौसाला

04/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सम्वत 2059–2062 में खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। गिरदावरी सम्वत 2063–2066 मे खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा प्रार्थीगण के नाम लिपिकीय त्रुटि से खातेदार से गैर खातेदार दर्ज हो गया। नामान्तरकरण संख्या 141 के द्वारा हरीराम पुत्र तुलसीदास के फौत होने पर उनके वारिसान का नामान्तरकरण दीनदयाल, प्रेमरतन, रामदयाल, भोमराज पिता हरीराम जाति छंगाणी निवासी नोख गैर खातेदार दर्ज है, जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकर की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि ग्राम ढालेरी में खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि दीनदयाल, प्रेमरतन, रामरतन, भोमराज पिता हरिराम जाति छंगाणी सा. नोख गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम ढालेरी में नामान्तरकरण संख्या 17 द्वारा आवटन खसरा नम्बर 199/3251 रकबा हरिराम पुत्र तुलसीदास जाति ब्राहमण छंगाणी सा. नोख उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम ढालेरी गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 में खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा किस्म बारानी–2 हरिराम पुत्र तुलसीदास जाति छंगाणी सा. नोख खातेदार दर्ज हुआ। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 बनाते समय खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा किस्म बारानी–2 हरिराम पुत्र तुलछीदास जाति छंगाणी सा. नोख लिपिकीय त्रुटि से खातेदार से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम ढालेरी में नामान्तरकरण संख्या 141 में हरिराम पुत्र तुलसीदास फौत होने से विरासत नामान्तरकरण वारिसान दीनदयाल, प्रेमरतन, रामदयाल, भोमराज पिता हरिराम जाति छंगाणी सा. नोख के नाम से गैर खातेदार दर्ज हुआ। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया कि ग्राम ढालेरी पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा भूमि के पूर्व हरीराम पुत्र तुलसीदास के नाम खातेदारी की दर्ज अभिलेख थी। हरीराम पुत्र तुलसीदास के फौत होने पर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण से दर्ज की गयी। गिरदावरी सम्वत 2059–2062 में हरीराम पुत्र तुलसीदास खातेदार दर्ज है परन्तु गिरदावरी सम्वत 2063–2066 में खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को गैर खातेदार से खातेदार शुद्व किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण, नक्सा ट्रेस, तहसीलदार बाप का जवाब, पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम ढालेरी पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम पूर्व में खातेदारी की दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता फौत होने पर प्रार्थीगण के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण के दर्ज की गयी। परन्तु गिरदावरी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

चौसाला सम्वत 2063–2066 में प्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है जबकि सम्वत 2063–2066 गिरदावरी चौसाला में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो तथ्य पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम ढालेरी पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 173/195 रकबा 48–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/3/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)